कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल--462004

क्रमांकः 1504 / 139 / आउशि / शा--5'अ' / 2022 भोपाल, दिनांक 29 / 09 / 2023

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय-- ऑनलाईन ई--प्रवेश प्रकिया 2023--24 के अन्तर्गत प्रवेश निरस्तीकरण पश्चात् शुल्क वापसी, विषय / पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन, प्रवेशित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया, प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन के संबंध में निर्देश।

संदर्भ-- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश कमांक 327 / 46 / सीसी / 2023 / अड़तीस, दिनांक 17.05.2023

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश के द्वारा सत्र 2023--24 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्वांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय--सारणी एवं कार्यालयीन आदेशों के द्वारा सी.एल.सी. चरण में प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

2. प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्वांत की कण्डिका 07 एवं 7.1 में अंकित प्रावधान के अनुसार सत्र 2023--24 प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होकर ओ.टी.पी. आधारित है। आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 30 दिवस के अंदर प्रवेश निरस्त कराने पर सम्पूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नही किया जाएगा।

3. प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्वांत की कण्डिका 28.4 में अंकित प्रावधान के अनुसार ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय--सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय / कक्षा / विषय में उपलब्ध सीट रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेंगी। निर्धारित समय--सीमा के पश्चात् महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर पर संकाय / कक्षा / विषय परिवर्तन संबंधी कार्यवाही नही की जावेगी। अपरिहार्य कारण से यदि संकाय / कक्षा / विषय परिवर्तन संबंधी प्रकरण प्राप्त होते है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4. प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्वांत की कण्डिका 28.5 में अंकित प्रावधान के अनुसार स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी अपना महाविद्यालय परिवर्तन (स्थानांतरण) करना चाहता है तो ऐसे स्थिति में विद्यार्थी पर्याप्त कारण सहित लिखित आवेदन प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के साथ जिस महाविद्यालय में प्रवेश स्थानांतरित किया जाना हैं को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के आधार पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण किया जा सकेगा। विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति आवश्यक होगी।

निरन्तर......2,

5. प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत की कण्डिका 28.7 (अ) एवं (ब) में अंकित प्रावधान के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन की कार्यवाही शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थी को 30 दिवस की समय–सीमा में मूल दस्तावेजों को संबंधित शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा।

6 उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत की कण्डिका 07 एवं 7.1, कण्डिका 28.4, कण्डिका 28.5 एवं कण्डिका 28.7 (अ) एवं (ब) में अंकित प्रावधान के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता / गुणानुक्रम का उल्लघंन न होने की शर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.10.2023 तक ई–प्रवेश प्रक्रिया के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश निरस्तीकरण पश्चात् शुल्क वापसी, विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन, प्रवेशित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया, प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय द्वारा विधिवत सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही की जानी है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश मान्य नहीं होगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

29/9/23

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

पृ. क्रमांकः 1505/139/आउशि/शा–5'अ'/2023 भोपाल, दिनांक 29/09/2023

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
6. सी.ई.ओ.,एम.पी. ऑनलाईन, द्वितीय तल, डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर, भोपाल।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

..........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल